की टिप्पणी को नजर–अन्दाज करके ''मुताबिक रहननामें व जमाबन्दी के अंकन तुलनात्मक है'' की अपनी जांच टिप्पणी अंकित कर दी तथा पीठासीन अधिकारी ने भी पटवारी हल्का की टिप्पणी को अनदेखा करके बिना राजस्व अभिलेख से मिलान किये ही राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की पृविष्टियों के विपरीत अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस जारी किये एवं उन्हें बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उनकी पीठ–पीछे से गलत हिस्से का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया, जिससे अन्य सहखातेदारों के हिस्से प्रभावित होने से अकारण ही विवाद उत्पन्न हो गये। इसलिए आक्षेपित आदेश गैर कानूनी एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम आमलोदा दूदी के नामान्तरकरण संख्या 456 पर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 27/5/99 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, विराटनगर को प्रेतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे सभी हितबद्ध सहखातेदारों/पक्षकारों को नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वर्णित हिस्से के अनुरूप ही नामान्तरकरण निस्तारित किये जाने के लिए विधि सम्मत पारदर्शी (Speaking) निर्णय पारित करें। तदनुसार निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार, विराटनगर को पालनार्थ अहकाम जारी हो।

10. निर्णय आज दिनांक 09/05/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट मुकाम विराटनगर में सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)